क्रमांक : विकास/2022/ 1014 दिनांक : 29 .04.2022

प्रेषितिः

श्रीमान डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय
नेशनल ग्रीन टिब्यूनल
प्रिंसीपल बेन्च
नई दिल्ली

विषय : Original Application N0. 197/2022 के सबंध में।
प्रसंग : आपका पत्र दिनांक 07.03.2022 एवं आदेश दिनांक 23.03.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण Suo Moto Matter OA.No 197/2022 में कोटा के काला तालाब में निर्माण एवं सौन्दर्यकरण की गतिविधियो के कारण 50 मगरमच्छो के मरने के संबंध में उप वन संरक्षक कोटा, सचिव नगर विकास न्यास कोटा, उपखण्ड अधिकारी कोटा एवं क्षेत्रीय अधिकारी राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की गठित समिति द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार संयुक्त निरीक्षण रिपार्ट श्रीमान को संलग्न प्रेषित है।

संलग्न–मौका जांच रिपोर्ट की प्रति

जिला कलक्टर
कोटा (राज.)

वस्तुस्थिति रिपोर्ट

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण संख्या 197/2022 दिनांक 07.03.2022 एवं श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 771 दिनांक 30.03.2022 के संदर्भ में निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा काला तालाब क्षेत्र का दिनांक 22.04.2022 को निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार है :—

1. नगर विकास न्यास द्वारा राजस्व ग्राम रंगतालाब/काला तालाब क्षेत्र में न्यास स्वामित्व की भूमि के खसरा नं0 101 रकबा 7.4 हेक्टेयर किस्म बंजड पर जन उपयोगी पार्क, अस्पताल व स्कूल आदि के लिये भूखण्ड, आवासीय योजना, चारों तरफ स्थित कॉलोनियों के तालाब में गिरने वाले नालियों के गन्दे पानी को Drain out कराने हेतु RCC नाले का निर्माण आदि जनहित में किया जा रहा है जो कि लगभग 40% पूर्ण हो चुका है। उक्त नाला निर्माण से तालाब में मिलने वाला गन्दा Domestic water, Sewerage रुक जायेगा। इससे भविष्य में तालाब के पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। उपरोक्त कार्य तालाब भूमि में ना होकर न्यास की भूमि में है।

2. ग्राम रंगतालाब/काला तालाब क्षेत्र में स्थित तालाब जिसका खसरा नं0 100 है तथा रकबा 4.77 हेक्टेयर (29 बीघा) है व तालाब की जमीन का कोई भी हिस्सा किसी तरह से अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस नं0 पर न्यास द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है व तालाब पूर्ण रुप से सुरक्षित है। तालाब के क्षेत्र को डिमार्केट कर उसे सुरक्षित रखा जा रहा है।

3. राजस्व ग्राम रंगतालाब/काला तालाब क्षेत्र में स्थित तालाब में आस—पास की आवासीय बस्तियों का घरेलू उच्छिष्ट प्रवाहित होता है एवं साथ नजदीक से जा रही नहर का सीपेज पानी भी तालाब में आता है। तालाब में घरेलू उच्छिष्ट, नहरी सीपेज एवं बारिश के पानी के अलावा और कोई पानी का स्त्रोत नहीं है।

4. निरीक्षण के दौरान मौके पर तालाब में किसी मगरमच्छ के मरने के साक्ष्य नहीं मिले। यह तालाब चम्बल नदी एवं चम्बल घडियाल अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है तथा यह चम्बल नदी से लगभग एरियल डिस्टेंस दूरी लगभग 3.5 कि0मी0 है। तालाब के तीन तरफ बस्ती एवं एक तरफ श्मशान एवं कब्रिस्तान है। स्थानीय निवासियों की ओर से मगरमच्छों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अतः वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिर्पोट सादर प्रेषित है।

(राकेश गुप्ता)	(सुबोध कुमार राजपूत)	(राजेश जोशी)	(दीपक मित्तल)
क्षेत्रीय अधिकारी	ए.सी.एफ.	सचिव	उपखण्ड अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, कोटा	कोटा	नगर विकास न्यास कोटा	कोटा